# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/127/2024 रजू दिनांकः 25.09.2024 रजि0 न0 2024/231

**अपीलार्थीः–**

श्री राजेन्द्र तिवाड़ी, अध्यक्ष नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं सेवा समिति, 29–शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजारा, जयपुर–302003 (राजस्थान)

**प्रत्यर्थीः–**

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 25.11.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते है तो दिनांक 07.10.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्रतिलिपि प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/2077 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग को लिखे जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर (प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर) के पत्र सं0 प.12–3()राजस्व/सूअ/2024/3192–93 दिनांक 28.10.2024 के माध्यम से (बिन्दु संख्या 5) प्रति प्र.अ. जिला लेख भण्डार, कलक्ट्रेट, अलवर को भी पृष्ठांकित, विस्तृत सूचना (लगभग 242 पृष्ठ) प्राप्त हुई है, जो नियमानुसार अधिप्रमाणित कराई जाकर निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय को जरिये प्रतिलिपि जवाब कमांक 2078–80 दिनांक 05.11.2024 द्वारा प्रस्तुत कर अवगत कराया है, की सूचना आवेदन दिनांक 12.08.2024 में विविध 7 बिन्दुओं पर वांछित सूचना, अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के प्रकाश में अतिविस्तृत–श्रमसाध्य सूचना है तथापि सूचना आवेदन के बिन्दु सं. 5 के कम में उक्तानुसार प्राप्त सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा रही है तथा शेष सूचना के संबंध में संबंधित अनुभाग को लिखा जा रहा है, प्राप्त होते ही तदनुसार अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर न्यायालय को भी सूचित कर दिया जावेगा
5. अतः प्रत्यर्थी के जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12.08.2024 में अंकित शेष सूचना संबंधित अनुभाग से शीघ्र प्राप्त कर अपीलार्थी को सूचना से उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)